(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 82 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री राजेश गोयल पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति महाजन निवासी मकान नं. बी–14, शिवाजी कॉलोनी, बारां जिला बारॉ (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स– राजेश ट्रेडिंग कम्पनी, दीनदयाल पार्क के पास, बारॉ जिला बारॉ
2. मैसर्स– राजेश ट्रेडिंग कम्पनी, दीनदयाल पार्क के पास, बारॉ जिला बारॉ (राज.)
3. श्री मनोज कुमार मारू पुत्र श्री सुरेश चन्द मारू निवासी सदर बाजार बारॉ मैसर्स– नाकोडा मार्केटिंग ऐजेन्सी, सदर बाजार बारॉ जिला बारॉ (राज.)
4. मैसर्स– नाकोडा मार्केटिंग ऐजेन्सी, सदर बाजार बारॉ जिला बारॉ (राज.)
5. श्री पटेल प्रकाश कुमार, केशवलाल पुत्र श्री पटेल केशवलाल निवासी 182, सन नगर सोसायटी, बिन्दु सरोवर पेंज सिद्वपुर पाटन गुजरात 384151 मैसर्स– रजवाडी डेयरी प्रोडक्ट, एफ / 1 पार्थ एग्रो, एट–कमली टीए उंझा, मेहसना–384170 गुजरात
6. मैसर्स– रजवाडी डेयरी प्रोडक्ट, एफ / 1 पार्थ एग्रो, एट–कमली टीए उंझा, मेहसना–384170 गुजरात

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 / 52 एफएसएसएक्ट, 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी क्रम 1,2,3,4)
3– अनुपस्थित (अप्रार्थी क्रम 5 व 6)

निर्णय दिनांक 23.01.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.01.2023 को मैसर्स–राजेश ट्रेडिंग कम्पनी, दीनदयाल पार्क के पास बारॉ जिला बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री राजेश गोयल पुत्र श्री महावीर प्रसाद (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ खाद्य पदार्थ **शुद्व घी (अमृत) 500 एम.एल. मूल पौलीपैक के 76 मूल पौली पेक** के आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **शुद्व घी (अमृत) 500 एम.एल. मूल पौलीपैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:26:18 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **शुद्व घी (अमृत) 500–500 एम.एल. के 04 मूल पौलीपैक** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री राजेश गोयल पुत्र श्री महावीर प्रसाद महाजन (विक्रेता एवं मालिक) को 1320 / – रूपये (अक्षरे एक हजार तीन सौ बीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **शुद्व घी (अमृत) 500–500 एम.एल. मूल पौलीपैक** के चारों भागों पर अलग–अलग प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.– 1631 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर ए.एच.–1631 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री राजेश गोयल पुत्र श्री महावीर प्रसाद (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/33 दिनांक 20.01.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 05/PHL/kota/Act/2023/12 दिनांक 17.01.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **शुद्व घी (अमृत) 500 एम.एल. मूल पौलीपैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** एवं धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 27.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक/रीडर II/2023/1118–1123 दिनांक 31.10.2023 से तलब किया जाकर दिनांक 08.12.2023 को इस न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के इस न्यायालय मे अनुपस्थित रहे। इसके पश्चात पुनः अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक रीडर II/2023/1280–1285 दिनांक 12.12.2023 से सूचित किया गया कि प्रकरण मे आगामी नियत पेशी दिनांक 12.01.2024 को इस न्यायालय मे आवश्यक रूप से उपस्थित हो अन्यथा प्रकरण मे एक पक्ष सरकार को ही सुना जाकर अंतिम निर्णय पारित कर दिया जावेगा। जिसकी रसीद पत्रावली मे संलग्न है। इस पर अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 05 व 06 को रूक–रूककर तीन बार आवाज दिलवाई गई, उसके बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु आगामी नियत पेशी दिनांक 23.01.2024 दी गई। प्रकरण मे अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन [illegible] प्रकरण मे अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर, उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:26:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] **शुद्व घी (अमृत) 500 एम.एल. मूल पौलीपैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** एवं धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 01 व 02 के द्वारा जरिये बिल नं. 4350 दिनांक 17.11.2022 से अप्रार्थी क्रम 03 व 04 से माल क्रय किया गया एवं अप्रार्थी क्रम 03 व 04 द्वारा अप्रार्थी क्रम 05 व 06 से जरिये बिल नं. GT/1034 दिनांक 05.11.2022 से उक्त माल क्रय किया गया था। उक्त बिलों की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है। खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 05/PHL/kota/Act/2023/12 दिनांक 17.01.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **शुद्व घी (अमृत) 500 एम.एल. मूल पौलीपैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** एवं धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया जिसमें अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 की कोई त्रुटि नहीं है। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 05 व 06 के द्वारा त्रुटि की गई है। अतः अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 को दोषमुक्त किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जावें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 05/PHL/kota/Act/2023/12 दिनांक 17.01.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थी क्रम 01 व 02 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **शुद्व घी (अमृत) 500 एम.एल. मूल पौलीपैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 05/PHL/kota/Act/2023/12 दिनांक 17.01.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** एवं धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 एवं 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 05 व 06 को कुल जुर्माना राशि 2,10,000/– रूपये (अक्षरे दो लाख दस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 05 व 06 को दो बार जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किये जाने उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि रजिस्टर्ड डाक से पालनार्थ भिजवायी जावे। उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **23.01.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:26:18 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)